प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.08.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में 01 स्नैचर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 14/15.08.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में डीएवी कट पर चेकिंग की जा रही थी तभी एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सवार लोहिया पार्क की तरफ से आते दिखाई दिए पास आने पर पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो नही रुके और अपनी मोटर साइकिल को तेजी से प्रेम गली की तरफ मोड़कर भागने लगे पुलिस पार्टी को शक होने पर भाग रहे व्यक्तियों का पीछा किया तो अपनी मोटर साइकिल को तेजी से भगाने लगे पुलिस पार्टी को पीछे आते देख भाग रहे व्यक्तियों ने मोटर साइकिल को तेजी से भगाने व बारिश का पानी भरे होने के कारण प्रेम गली में कूड़े के ढेर के आगे फिसल कर गिर गई तथा पुलिस को पीछे आते देख भाग रहे बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया गया। जिसके क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया तो भाग रहे एक बदमाशनईम उर्फ चीरा पुत्र अजीज मलिक निवासी मकान नंबर डी 80 ब्लॉक D गली नंबर 1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल होकर गिर गया। जिसे 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर उपचार हेतु एमएमजी अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा दूसरा बदमाश सरफराज मलिक उर्फ भांडा पुत्र रहीमुद्दीन मालिक नि. गली न. 1 D 98 शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद अंधेरे का फायदा उठा कर मौके से भाग गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नईम उर्फ चीरा पुत्र अजीज मलिक निवासी मकान नंबर डी 80 ब्लॉक D गली नंबर 1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में लूट, स्नेचिंग व चोरी आदि के लगभग दो दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा पुलिस लाइन्स एवं कैम्प कार्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई।

79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कमिश्नरेट गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्ण गरिमा, हर्षोल्लास एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन्स गाजियाबाद में आयोजित किया गया जहां पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी गयी एवं समस्त पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय द्वारा पुलिस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। समस्त राजपत्रित अधिकारीगणों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों एवं थानों पर ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण किया गया। पुलिस लाइन्स में ध्वजारोहण के पश्चात शौर्य एवं सराहनीय कार्यों के लिए पदक व प्रशंसा चिह्न प्राप्त करने वाले सम्बन्धित पुलिसकर्मियों को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस बधाई दी गई। इस अवसर पर उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, अनुशासन एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा, विश्वास और न्याय की भावना को सशक्त बनाना भी है। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा सभी पुलिसकर्मियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया गया।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 27.07.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादिया का मोबाइल चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 15.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मन्नू पुत्र प्रमोद निवासी रामविहार बन्थला लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र बथंला से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह मोबाइल कुछ दिन पहले बंथला फ्लाई ओवर के नीचे से मौका पाकर चोरी कर लिया था जिसे आज मैं बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मन्नू पुत्र प्रमोद निवासी रामविहार बन्थला लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उक्त घटना के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.08.25 को वादी द्वारा थाना मसूरी पर तहरीर दी गई कि उसकी पुत्री ज्योति उम्र 28 वर्ष को उसके पति व ससुरालीजन द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना जिससे छुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में वांछित अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.08.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त **उमेश (पति) पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी लीलू कॉलोनी इन्द्रगढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त उमेश उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरी मृतका ज्योति से वर्ष 2021 में शादी हुई थी। मैं शराब पीकर अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। तथा मारपीट भी कर करता था। जिससे छुब्ध होकर उसने खुद को फाँसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

अभि0-उमेश (पति) पुत्र स्व0 वेदप्रकाश निवासी लीलू कॉलोनी इन्द्रगढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र लगभग 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 25,000/- रू0 का इनामी 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 14/15.08.2025 की रात्रि को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 25,000/- रू0 का इनामी 01 अभियुक्त विशाल पुत्र ओमवीर निवासी A/181 गली नं07 जगतपुरी मानसरोवर पार्क थाना मानसरोवर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को यशोदा हॉस्पिटल के सामने सर्विस रोड़ के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र ओमवीर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र ओमवीर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को लगभग 15 दिन पहले हर्ष विहार दिल्ली से चोरी किया था। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने अपने अन्य साथी पुनीत पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम खुर्जा जक्शन थाना कोतवाली खुर्जा बुलन्दशहर जो कि चोरी व स्नेचिंग की घटनाओं में पहले ही जेल जा चुका है के साथ विभिन्न-विभिन्न क्षेत्र में चोरी व छिनैती की घटनाएं कारित करता था। इसीक्रम में अभियुक्त उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल से मोबाइल फोन छिनने की फिराक में था कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल पुत्र ओमवीर निवासी A/181 गली नं07 जगतपुरी मानसरोवर पार्क थाना मानसरोवर शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र ओमवीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी का माल बरामद होने व स्नेचिंग के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 08/08/25 को आवेदक सत्यप्रकाश पुत्र छोटेलाल निवासी सी 201 न्यू विजयनगर गाजियाबाद ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोटर साइकिल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 14.08.2025 को सैक्टर 03 सर्विस रोड के पास से अभियुक्त सन्दीप पांचाल पुत्र स्व0 ऋषिपाल पांचाल निवासी म0न- 1152 रामनगर अर्थला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो में बताया कि साहब मै गाजियाबाद में अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी करता हूँ पूर्व मे भी कई जगहों से मोटर साइकिलें चुराईं हैं तथा इस मोटरसाइकिल को मैंने कविनगर थाना क्षेत्र से चोरी की थी व अन्य जो 3 मोटर साइकिल बरामद है वो मैंने इन्दरापुरम थाना क्षेत्र से चोरी की थी। जिन्हे मैं कम दाम पर ग्राहकों को बेच देता था। आज भी मैं यह मोटर साइकिल बेचने के लिए जा रहा था, तभी आपने मुझे पकड़ लिया।

बरामदगी-

- 4 मोटरसाइकिल बरामद

अभियुक्त का नाम पता-

सन्दीप पांचाल पुत्र स्व0 ऋषिपाल पांचाल निवासी म0न- 1152 रामनगर अर्थला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध कमि0 गाजियाबाद में 01 नकबजनी , 01 लूट, 01आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 किलो 600 ग्राम कॉपर का तार व तार बेचकर प्राप्त 7,700/- रुपये बरामद।

कार्यवाही की विवरणः- दिनांक 02.05.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री सुमित कुमार पुत्र गौतम सिंह निवासी सुपरवाईजर हैवल्स इंडिया लि0 प्लाट नं0-6 साइट-4 साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता म0नं0-9 ब्लाक नं0-10 खिचडीपुर थाना कल्याणपुरी दिल्ली ने लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा प्लाट नं0-6 साइट-4 साहिबाबाद हैवल्स कम्पनी के पीछे की तरफ से 35 एमएम सिंगल कोर रंग काला 1.356 किमी का तार चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 14/15.08.2025 की रात्रि को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. सोनू उर्फ शाकिब खान पुत्र मुख्तार अली निवासी किराएदार जाहिद के मकान में मैन रोड़ महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम बेलवा थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 19 वर्ष व 2. पंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी झुग्गी झोपडी निकट रेलवे लाइन ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम कछला थाना उझानी जनपद बदायुँ उम्र करीब 25 वर्ष को डाबर तिराहे के पास सर्विस रोड से 08 किलो 600 ग्राम कॉपर का तार व तार बेचकर प्राप्त 7,700/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के

विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों ने आज से करीब 04 महीने पहले महाराजपुर में हैवल्स कम्पनी में पीछे की साईड से जाकर करीब 01 किलोमीटर लम्बे कैबिल के तार की चोरी की थी। चोरी किये हुए तार को कुछ दिन के लिये छिपा कर रखा था। जिसमें से कुछ कैबिल के तार को दोनों अभियुक्तों ने दिल्ली में जाकर 14,000/- रुपये में चलते-फिरते एक व्यक्ति को बेच दिया और पैसों को आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया। जो रुपये दोनों अभियुक्तों से बरामद हुए हैं ये उनमें से बचे हुए वही रुपये है तथा जो कैबिल का तार बचा हुआ था उसमें से दोनों अभियुक्तों ने अन्दर से कॉपर का तार निकाल लिया। जिसे बेचने की फिराक में दिल्ली जा रहे थे कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. सोनू उर्फ शाकिब खान पुत्र मुख्तार अली निवासी किराएदार जाहिद के मकान में मैन रोड़ महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम बेलवा थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।
2. पंकज पुत्र ब्रह्मपाल निवासी झुग्गी झोपडी निकट रेलवे लाइन ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल पता ग्राम कछला थाना उझानी जनपद बदायुँ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 08 किलो 600 ग्राम कॉपर कुल 7700 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ शाकिब खान पुत्र मुख्तार अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज पुत्र ब्रह्मपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.07.2025 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी 835 अर्थला गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स साहिबाबाद पुल के पास वसुन्धरा क्षेत्र से चोरी कर ली गयी है। जिसके सम्बन्ध में धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 14/15.08.2025 की रात्रि को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त आदित्य पुत्र महिपाल निवासी कुलेसरा संजय विहार कॉलोनी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष के साहिबाबाद रेलवे अण्डर पास के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य पुत्र महिपाल उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग कती धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य पुत्र महिपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथी ने बरामद मोटर साइकिल को वसुन्धरा क्षेत्र से लगभग 20 दिन पहले चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त बरामद मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में दिल्ली जा रहा था कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदित्य पुत्र महिपाल निवासी कुलेसरा संजय विहार कॉलोनी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य पुत्र महिपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व गौतमबुद्धनगर थाना ईकोटेक-3 पर चोरी व लूट से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 15.08.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त परमवीर उर्फ पप्पू जाट पुत्र राजवीर जाट निवासी ग्राम खुड़लिया थाना सिघावली जनपद हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष को एम0के0 रेस्टोरेन्ट भोपुरा के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त परमवीर उर्फ पप्पू जाट पुत्र राजवीर जाट उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5), 345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त परमवीर उर्फ पप्पू जाट पुत्र राजवीर जाट उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने यह मोटर साइकिल करीब 6-7 महीने पहले गोकुलपुरी दिल्ली से चोरी की थी। अभियुक्त उपरोक्त बरामद मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया तथा सिर में लगी चोट के बारे में पूछने पर बताया कि मैने नशे की गोलियाँ खा रखी थी। जिससे आते समय मोटर साइकिल गिर गई और मेरे सिर में चोट लग गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

परमवीर उर्फ पप्पू जाट पुत्र राजवीर जाट निवासी ग्राम खुड़लिया थाना सिघावली जनपद हापुड़ उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त परमवीर उर्फ पप्पू जाट पुत्र राजवीर जाट उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपरधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 14/15.08.2025 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. स्यंम पुत्र प्रदीप कुमार निवासी म0नं0 30/300 पुराना 30 ब्लाक त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष व 2. तुषार पुत्र राजपाल सिंह निवासी म0नं0 37 चर्च वाली बिल्डिंग पांचवा फ्लौर प्रताप नगर मयूर विहार फेस 1 दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी सीमा क्षेत्रान्तर्गत भडाना कट के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्तों ने बरामद मोटर साइकिल को करीब 01 माह पहले दिल्ली से चोरी किया था। दोनों अभियुक्त मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. स्यंम पुत्र प्रदीप कुमार निवासी म0नं0 30/300 पुराना 30 ब्लाक त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
2. तुषार पुत्र राजपाल सिंह निवासी म0नं0 37 चर्च वाली बिल्डिंग पांचवा फ्लौर प्रताप नगर मयूर विहार फेस 1 दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त स्वंय पुत्र प्रदीप उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।
- गिरफ्तार अभियुक्त तुषार पुत्र राजपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।